प्रेसनोट
दिनांक 01.09.2025

थाना को0नगर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्त - 01 मोहम्मद हसन उर्फ रजा पुत्र मो०रफीक, 02. अहद पुत्र मुर्तुजा व 03. सलमान पुत्र अजीज अहमद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 01.09.2025 को उ0नि0 विपुल पाण्डेय मय हमराह रात्रिगस्त व क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जय नरायन चौराहा के पास राजा बक्श सिंह तालाब के किनारे कुछ दूर पर अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठकर चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर उ0नि0 विपुल पाण्डेय मय फोर्स मौके पर पहुंचकर राजा बक्श सिंह तालाब के पास अभियुक्त 01. मोहम्मद हसन उर्फ रजा पुत्र मो०रफीक, 02. अहद पुत्र मुर्तुजा व 03. सलमान पुत्र अजीज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जामा तलाशी पर चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एक अदद हथौड़ी लोहे का, एक अदद चिमटा लोहे का, एक अदद लोहे का छिन्नी, एक अदद लोहे का सब्बल, एक अदद पिलास लोहे का, एक अदद पेचकस लोहे का, एक अदद लोहे का आरी /ब्लेड, एक अदद टार्च आदि बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01 मोहम्मद हसन उर्फ रजा पुत्र मो०रफीक निवासी इन्द्रानगर कलोनी निकट मरी माता मन्दिर के पास थाना को नगर जनपद गोण्डा।

02. अहद पुत्र मुर्तुजा निवासी महारानीगंज घोसियाना थाना को नगर जनपद गोण्डा।

03. सलमान पुत्र अजीज अहमद निवासी दुआ बाजार बरियार पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-675/2025, धारा 313 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण -

01. एक अदद हथौड़ी लोहे की
02. एक अदद चिमटा लोहे का
03. एक अदद लोहे की छिन्नी
04. एक अदद लोहे का सब्बल
05. एक अदद पिलास लोहे का
06. एक अदद पेचकस लोहे का
07. एक अदद लोहे का आरी /ब्लेड

08. एक अदद टार्च

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय
02. हे0कां0 दीनदयाल यादव
03. कां० संदीप कुमार
04. कां० विनय राय
05. कां० जसीम अहमद
06. हे0कां0 इन्द्रासन ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 01.09.2025

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-279/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त छोटे लाल यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव को चडौवा पुल से थोडी दूर पर झिलाही रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राम सेवक पुत्र खदेरू यादव निवासी ग्राम दुर्जनपुर पचूमी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन लालमनी उर्फ छोटका की शादी करीब 30 वर्ष पूर्व छोटे लाल पुत्र राजाराम यादव नि० ग्राम छोटी गौरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के साथ हुई थी, नशे की लत के कारण अपने नाम की जमीन बेंच दिया है और बहन एवं उसके बच्चों के हिस्से की जमीन को भी बेचने के लिए अकसर झगड़ा करता था, दिनांक 29.09.2025 को वादी की बहन जो घास काटने गई थी, उसे पति छोटेलाल ने हंसिया से मार दिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त छोटे लाल यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव को चडौवा पुल से थोडी दूर पर झिलाही रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. छोटे लाल यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव निवासी ग्राम छोटी गौरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार मिश्र थाना वजीरगंज,
02. का0 अवधेश यादव
03. का0 आनन्द यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.09.2025

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 103(1)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त साहिद अली पुत्र सकिर अली को टिकौली मोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2025 को वादी जमील पुत्र नजीर मो० नि0 ग्राम रायपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन राकिया बानो की शादी साहिद अली पुत्र साकिर अली नि0 ग्राम मीनापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के साथ दस बारह साल पहले हुई थी। आए दिन वादी की बहन को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, दिनांक 30.08.2025 को सूचना मिली वादी की बहन को पति साहिद अली पुत्र साकिर अली व उसके परिवारीजन ने मार कर रस्सी में बांध कर टांग दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में नामजद 03 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 01.09.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त साहिद अली पुत्र सकिर अली को टिकौली मोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. साहिद अली पुत्र सकिर अली निवासी मीनापुर थाना को० करनैलगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-342/2025 धारा 103(1)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह थाना को0 कर्नलगंज,
02. व0उ0नि0 श्री बृजराज प्रसाद
03. हे0का0 वकील सिंह
04. हे0का0 अख्तर अली
05. म0आ0 आकांक्षा सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.09.2025
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र पर चोरी करने वाले एक नफर चोर को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 340/2025, धारा 305(A),331,(3),317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त राज कुमार कश्यप उर्फ अन्नू पुत्र राम प्यारे कश्यप नि0 छोटी मनिहारी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को बाबागंज चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक श्री परमानन्द जायसवाल पुत्र स्व0 श्री सीताराम जायसवाल नि0 मो0 सकरौरा लखनऊ रोड थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 29.08.2025 को वह ग्राहक सेवा केन्द्र के पास में स्थित पुस्तक भण्डार पर गये थे तभी दो व्यक्ति आये और ग्राहक सेवा केन्द्र के अन्दर रखे लॉकर का लॉक तोड़कर 500-500 की तीन बंधी गड्डी चोरी कर ले गये । तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 31.08.2025 की रात थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राज कुमार कश्यप उर्फ अन्नू पुत्र राम प्यारे कश्यप नि0 छोटी मनिहारी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को बाबागंज चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, उसके कब्जे से रु0 1,19,000/- बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राज कुमार कश्यप उर्फ अन्नू पुत्र राम प्यारे कश्यप नि0 छोटी मनिहारी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 340/2025, धारा 305(A),331,(3),317(2) बी0एन0एस0 थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. चोरी के रु0 1,19,000/- नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजीव कनौजिया चौकी प्रभारी कस्बा करनैलगंज
02. उ0नि0 राजेश पाण्डेय
03. हे0कां0 सुभाष यादव
04. कां0 अंकित यादव
05. कां0 जितेन्द्र कुमार 2
06. का0 माधव मुरारी मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा